भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 692**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

विकास के लिए जमा राशि का प्रतिशत

692**. श्री नरेश अग्रवाल:**

 क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्‍तर प्रदेश में राष्‍ट्रीयकृत बैंक प्रतिवर्ष कितना रूपया जमा राशि के रूप में जनता से प्राप्‍त करते हैं तथा उसमें से कितना रूपया उस राज्‍य के हित में खर्च किया जाता है;

(ख) क्‍या मंत्री जी को यह जानकारी है कि रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा राज्‍यों में जमा होने वाले पैसे का 60 प्रतिशत राज्‍यों के विकास में खर्च करना आवश्‍यक है;

(ग) यदि हां, तो क्‍या उत्‍तर प्रदेश में स्थित बैंकों ने उन मानकों को पूरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क):** आई.डी.बी.आई. बैंक लि. सहित राष्‍ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्‍तर प्रदेश में लोगों से प्राप्‍त जमा राशि का ब्‍यौरा तथा राज्‍य में 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण और ऋण-जमा (सी-डी) अनुपात का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-

जमाराशि - 2,31,14,677 लाख रूपये

बकाया ऋण (स्‍वीकृत) - 1,10,91,819 लाख रूपये

ऋण-जमा अनुपात (स्‍वीकृत) - 48%

बकाया ऋण (उपयोग) - 1,14,87,250 लाख रूपये

ऋण-जमा अनुपात (उपयोग) - 49.7%

(स्रोत बीएसआर – 1 एवं 2, आर.बी.आई.)

(स्‍वीकृत और उपयोग ऋण की स्‍वीकृति और उपयोग के स्‍थान पर है)

**(ख) से (घ):** भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अखिल भारतीय आधार पर अपनी ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में ऋण-जमा के 60% अनुपात को अलग-अलग प्राप्‍त करने की सलाह दी है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऋण वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन को न्‍यूनतम करने के उद्देश्‍य से विभिन्‍न राज्‍यों/क्षेत्रों के अनुपात में व्‍यापक भिन्‍नता को समाप्‍त किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु अपने ऋण-जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

\*\*\*\*\*